2015 का विधेयक संख्यांक 206

[दि एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) अमेंडमेंट बिल, 2015 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2015

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2015 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 में, जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है,—

(*i*) विद्यमान खण्ड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड (कक) से पहले, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

'(क) ''बोर्ड'' से धारा 17क के अधीन गठित केन्द्रीय प्रकाश प्रदूषण रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन बोर्ड अभिप्रेत है;';

(*ii*) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(ङक) ''प्रकाश प्रदूषण'' से अभिप्रेत है आउटडोर लाइटिंग फिक्सचर द्वारा अवांछित प्रकाश उद्भवन जो लक्षित क्षेत्रों से बाहर प्रकीर्णित होता है, विशेषकर ऐसे मामलों में जब क्षितिज स्तर से ऊपर निर्देशित किया जाए और/या अद्यतन जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है;';

(*iii*) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(चक) ''आउटडोर लाइटिंग फिक्सचर से अभिप्रेत बाहरी प्रकाश उद्भवन के लिए डिजाइनकृत अथवा प्रयुक्त किसी प्रकार का नियत अथवा चलायमान लाइटिंग उपस्कर जिसमें बिलबोर्ड लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटें, सर्चलाइट्स और विज्ञापन प्रयोजनार्थ तथा क्षेत्र प्रकाश हेतु प्रयुक्त अन्य प्रकाश व्यवस्था सम्मिलित है किन्तु वह लाइटिंग उपस्कर सम्मिलित नहीं है जो विधि द्वारा मोटर वाहनों पर संस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है अथवा वायुयान के सुरक्षित प्रचालन हेतु अपेक्षित लाइटिंग;'; और

(*iv*) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ज)' आउटडोर लाइटिंग फिक्सचर के संबंध में ''रक्षित'' का अर्थ है एक फिक्सचर जो इस तरह से कवर किया जाता है कि उससे निकलने वाली प्रकाश किरणें, या तो सीधे लैम्प से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फिक्सचर में, फिक्सचर पर न्यूनतम बिन्दु माध्यम से जाती हुई क्षितिजाकार प्लेन के नीचे प्रोजेक्ट की जाती है, जहां प्रकाश निकलता है।

नए अध्याय तीन क का अंत:स्थापन।

3. मूल अधिनियम में, अध्याय तीन के पश्चात्, निम्नलिखित नया अध्याय अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''अध्याय तीन क

प्रकाश प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन

केन्द्रीय बोर्ड का गठन।

17क. (*1*) केन्द्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रवृत्त होने के तीन माह के भीतर, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक बोर्ड का गठन करेगी जिसे इस अध्याय के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रकाश प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए केन्द्रीय बोर्ड कहा जाएगा।

(*2*) बोर्ड में एक सभापति और केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किए जाने वाले अन्य ऐसे सदस्य होंगे जो विहित किया जाए।

(*3*) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

केन्द्रीय बोर्ड के कृत्य।

17ख. (*1*) बोर्ड देश में प्रकाश प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन हेतु उत्तरदायी होगा।

(*2*) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित सभी अथवा कोई कृत्य करेगा, अर्थात्—

(*क*) रात्रि आसमान की गुणवत्ता में सुधार और प्रकाश प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण अथवा उपशमन से सम्बन्धित किसी मामले पर केन्द्र सरकार को सलाह देना।

(*ख*) प्रकाश प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और कार्यान्वित करवाना।

(*ग*) ऐसे निबन्धन और शर्तों पर, जैसा बोर्ड निर्दिष्ट करे, प्रकाश प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और स्थगन हेतु कार्यक्रमों में संलग्न व्यक्तियों और संलग्न किए जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और संचालन करना।

(घ) प्रकाश प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के संबंध में मास मीडिया के माध्यम से एक व्यापक कार्यक्रम संचालित करना।

(ङ) प्रकाश प्रदूषण के सम्बन्ध में तकनीकी और सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह, संकलन और प्रकाशन करना और इसकी प्रभावकारी रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए उपाय करना और प्रकाश प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन से संबंधित निर्देशिकाओं, संहिताओं और मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना।

(च) प्रकाश प्रदूषण के सम्बन्ध में वातावरण की गुणवत्ता और निशा आसमान हेतु मानक निर्धारित करना;

(छ) प्रकाश प्रदूषण संबंधी मामलों के संबंध में सूचना संग्रह और प्रसार करना;

(ज) ऐसे कृत्यों का निष्पादन करना जो विहित किए जाएं।

आउटडोर फिक्सचर्स हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत।

17ग. (*1*) बोर्ड, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा रक्षित आउटडोर लाइटनिंग फिक्सचर्स हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त विहित करेगा;

(*2*) विशेष रूप से और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित का उपबंध करेंगे—

(क) निर्धारित विद्युत उपभोग के प्रयोग से सभी सार्वजनिक आउटडोर लाइटनिंग फिक्सचर्स का अनिवार्य रक्षण;

(ख) गैर-मरम्मत योग्य रक्षित आउटडोर लाइटनिंग फिक्सचर्स का प्रतिस्थापन; और

(ग) राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय घटनाओं के सिवाय अर्धरात्रि से 0500 बजे तक आउटडोर आमोद-प्रमोद संबंधी सुविधा हेतु रक्षित आउटडोर लाइटनिंग फिक्सचर्स का प्रतिबन्धित प्रयोग।

केन्द्रीय सरकार निधि मुहैया कराएगी।

17घ. केन्द्र सरकार, इस ओर से विधि द्वारा संसद द्वारा किए गए यथोचित प्रत्यायोजन के बाद, ऐसी धनराशि प्रदान करेगी, जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त समझे।

छूटें।

17ङ इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे—

(क) मौजूदा रक्षित आउटडोर लाइटनिंग फिक्सचर्स जिन्हें पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2015 के आरम्भ से पूर्व विधिक रूप से संस्थापित किया गया;

(ख) वायुपत्तनों पर दिवचालन संबंधी लाइटनिंग प्रणालियां और वायुयान सुरक्षा हेतु आवश्यक अन्य लाइटनिंग;

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक आउटडोर लाइटनिंग फिक्सचर्स; और

(घ) फार्मों, डेयरियों, उद्योगों, खनन, तेल क्षेत्र और प्राकृतिक गैस सुविधाओं के कार्य में संलग्न कर्मकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक आउटडोर लाइटनिंग फिक्सचर्स;

शास्ति।

17च. जो कोई भी इस अध्याय के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम बार अपराध हेतु, उसे चेतावनी जारी की जाएगी; और दूसरी बार अथवा तदनन्तर अपराध के लिए उसे जुर्माना देना होगा, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा;

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

17छ. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट, किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कृत्रिम प्रकाश का अप्रतिबंधित उपयोग और बिजली पर मानव निर्भरता से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिन्हें हम भुला बैठे हैं। यद्यपि हमने अंधकार के दैत्यों को पराजित कर अपने शहरों कस्बों और गांवों को प्रकाशमान किया है। किन्तु हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। हमने रात्रि के दौरान प्राकृतिक स्तर से सैकड़ों और हजारों गुना प्रकाश के स्तरों को पार किया है जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश प्रदूषण फैला है।

प्रकाश प्रदूषण का सबसे बड़ा शिकार खगोल विज्ञान हुआ है। आकाश में बिजली के चमकने (वातावरण में प्रकाश का फैलना) से तारों और आकाशगंगाओं के बीच और स्वयं आकाश में भी विरोधाभास कम हो जाता है, जिसमें धुंधली वस्तुओं को देखना अधिक कठिन हो जाता है। खगोलविदों द्वारा नक्षत्रों और ग्रहों को स्पष्ट रूप से देखे जाने की आवश्यकता होती है। अंधकारयुक्त आकाश के अनुकूल प्रकाश का अर्थ अंधकारयुक्त पृथ्वी नहीं है। प्रकाश प्रदूषण खगोलविदों के लिए ही नहीं अपितु पशुओं और पौधों के लिए भी चिन्ता का विषय है। यह रात्रिचर वन्यजीवों के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। लगभग तीस प्रतिशत रीढ़ वाले प्राणी और साठ प्रतिशत से अधिक बिना रीढ़ वाले प्राणी रात्रिचर हैं और शेष में से अनेक अरूणोदय और गोधूलिबेला में सक्रिय होते हैं। प्रकाश प्रदूषण ने पशुओं के दिशाज्ञान में भ्रम उत्पन्न किया है और अन्य चीजों में शिकार–शिकारी संबंधों में परिवर्तन किया है। इस प्रकार प्रकाश प्रदूषण का हमारे चारों ओर की पारिस्थितकीय तंत्र पर खतरनाक प्रभाव पड़ा है।

इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रात्रि में ऑउटडोर प्रकाश उपयुक्त प्रकाशस्तरों पर प्रज्जवलित हो अथवा जहां आवश्यक हो पूर्ण रूप से रक्षित, नीचे की ओर प्रकाश प्रभावी दृढ़ता का उपयोग हो। हमारे प्रकाश को रक्षित करने का साधारण कार्य, लैम्प फिक्सचर्स को संस्थापित करने अथवा रिट्रोफिटिंग करने जो इसके गन्तव्य लक्ष्य की ओर प्रत्यक्ष प्रकाश डाउनवार्ड, प्रकाश प्रदूषण पर विशेषण करने का हमारा उत्कृष्ट अवसर दिखाता है। जब कभी हम अपने आंतरिक प्रकाशों को खुला छोड़ते हैं, तब आकाश में, हमारी आंखों में और हमारे पड़ोसियों के शयनघरों में प्रकाश सीधे भेजते हुए हमारी बहुत सी प्रकाश व्यवस्था आरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त, रक्षित लाइटें अपना कार्य अत्यधिक प्रभावी रूप से करती हैं क्योंकि वे उन पर तेज प्रकाश देती हैं जिन पर हम जलाते हैं। अत्यधिक प्रभावी प्रकाश व्यवस्था से ऊर्जा की बचत होती है, लागत में कमी आती हैं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है।

विभिन्न देशों में राष्ट्र के डार्क स्काई का संरक्षण करने और इसमें वृद्धि करने के लिए कानून हैं। किन्तु प्रकाश प्रदूषण की चर्चा हमारे राष्ट्र में मुश्किल से ही की जाती है और वास्तव में यह किसी की जिम्मेदारी नहीं है। प्रकाश प्रदूषण की समस्या बद से बदतर होती जा रही है क्योंकि हमारा देश लगातार समृद्ध और नगरीकृत होता जा रहा है। अत: समय आ गया है कि स्थिति के खतरनाक होने से पहले इस मामले का नियमन किया जाए।

नई दिल्ली;
29 जून, 2015
8 आषाढ़, 1937(शक)

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 का आशय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में 17क से 17छ तक धाराएं अंत:स्थापित करना है। प्रस्तावित धारा 17क में प्रकाश प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कम करने के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड के गठन हेतु प्रावधान है। प्रस्तावित धारा 17ख में प्रकाश प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी करने संबंधी आंकड़ों के संग्रहण, प्रशिक्षण, मास मीडिया कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय बोर्ड द्वारा उठाए जाने वाले कदमों हेतु प्रावधान हैं। प्रस्तावित धारा 17ग में मरम्मत योग्य न होने पर मौजूदा लैम्पों के प्रतिस्थापन का प्रावधान है। धारा 17घ में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार इस विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगी। अत: इस विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर प्रतिवर्ष लगभग पचास सौ करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर लगभग एक सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

लोक सभा

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—1749LS(S3)—03.08.2015.